

कार्यालय, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,  
जी. ई. रोड, मुख्य कार्यालय  
रायपुर (छ.ग.)



Website : [www.jskbank.com](http://www.jskbank.com)

Phone No. : 0771-4255400

E-mail ID : [jskbankraipur@gmail.com](mailto:jskbankraipur@gmail.com)

निविदा प्रपत्र

निविदा सूचना क्रं. 4698 / 20/03/2021

निविदा प्रपत्र हेतु आवेदित एजेन्सी का नाम	
निविदा प्रपत्र का शुल्क नगद भुगतान द्वारा	5000.00 रुपये (अक्षरी पांच हजार रु.)
अमानत राशि	3.00 लाख रुपये (अक्षरी तीन लाख रु.)
निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम तिथि	31/03/2021
रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 01/04/2021 समय 3:00 बजे अपरान्ह
तकनीकी प्रस्ताव खोलने की तिथि	01/04/2021 को 3:30 बजे अपरान्ह
वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि	06/04/2021 को 3:00 बजे अपरान्ह

निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न अनुसूची

अनुसूची - 1	तकनीकी मापदण्ड (Technical Parameters)
अनुसूची - 2	तकनीकी प्रस्ताव (Technical Bid)
अनुसूची - 3	वित्तीय प्रस्ताव (Financial bid)
अनुसूची - 4	प्रस्तावित अनुबंध का प्रारूप (Agreement format)

निविदा जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

कार्यालय, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,  
जी. ई. रोड, मुख्य कार्यालय  
रायपुर (छ.ग.)



दूरभाष नंबर – 0771-4255400

E-mail ID - jskbankraipur@gmail.com

क्रमांक / स्थापना / 2020-21 /

दिनांक .....

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर (छ.ग.) के कार्यालयीन कार्यों के संपादन हेतु विभिन्न श्रेणी के योग्य एवं अनुभवी कर्मचारी (जैसे उप अभियंता, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, वाहन चालक, भृत्य, सुरक्षा गार्ड) की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित पात्रता रखने वाली प्लेसमेंट एजेंसियों से दो लिफाफा पद्धति में सील बंद लिफाफे में दिनांक 01/04/2021 के अपरान्ह 3:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा प्रपत्र 5000.00 रु. बैंक की शाखा सी.ओ.डी. में 4.00 बजे अपरान्ह तक जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

### निविदा की शर्तें

#### 1. अमानत राशि –

1. अमानत राशि 3.00 लाख रु. (अक्षरी तीन लाख रु.) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर के नाम से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के द्वारा जमा की जावेगी। तकनीकी प्रस्ताव के साथ अमानत राशि जमा करना अनिवार्य होगा, जिसके बिना प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. सफल निविदाकार की अमानत राशि धरोहर राशि के रूप में जमा रखी जावेगी और संविदा की अवधि संतोषप्रद समाप्ति के पश्चात् वापस की जावेगी। उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अन्य निविदाकारों की अमानत राशि, सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के उपरान्त वापस कर दी जावेगी।

#### 2. प्लेसमेंट एजेंसी की पात्रता हेतु न्यूनतम मापदण्ड :-

- I. निविदाकार के पास केन्द्र शासन अथवा राज्य शासन के शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय निगम/मंडल जिसमें मैन पावर सप्लाई कार्य का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव हो जो संबंधित सेवाग्रहिता संस्थान द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
- II. निविदाकार का विगत तीन वर्ष (वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20) में औसत वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम 2.00 करोड़ रु. (दो करोड़ रु.) होने चाहिए। इसके समर्थन में सीए का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
- III. प्लेसमेंट एजेंसी के पास वैधानिक प्रावधान जैसे एम्प्लायी प्रोविडेन्ट फंड, लेबर एक्ट, ई.एस. आई., सर्विस टैक्स आदि के अंतर्गत वैध पंजीयन हो तथा आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी लेखा संख्या/पेन नंबर प्राप्त हो।

IV. सिक्यूरिटी गार्ड के लिये निविदाकार के पास Private Security agency regulation act. के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का अवज्ञा पत्र (Licence) जो वर्तमान तिथि में वैध हो होना अनिवार्य है।

**3. मानव संसाधन कर्मियों की न्यूनतम् शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा कर्मी को प्रतिमाह देय राशि**

(1) प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा बैंक मुख्यालय एवं शाखा कार्यालयों में नियोजित किये गये कर्मचारियों को प्रतिमाह बिना किसी कटौती किये (वैधानिक कटौतियों को छोड़ कर) राशि देनी होगी जो समय-समय पर बैंक के आदेश पर परिवर्तनीय होगी।

(2) मानव संसाधन की न्यूनतम् अर्हताएं निम्नांकित होगी –

क्रं	पदनाम	पारिश्रमिक	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव
1	उपयंत्री	11690	न्यूनतम् त्रिवर्षीय डिप्लोमा (सिविल) इंजीनियर उपाधि।	शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय में कम से कम दो दो वर्षों का अनुभव।
2	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	11690/-	किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक के साथ विष्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्युटर में कम से कम छः माह का डिप्लोमा / पी.जी.डी.सी.ए. / बी.सी.ए. / एम.सी.ए. में से कोई भी एक योग्यता अनिवार्य होगी।	शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय में कम से कम दो वर्षों का अनुभव, डाटा एन्ट्री में 8000 ईम्प्रेषन प्रति घंटा
3	वाहन चालक	10910/-	8 वी. उत्तीर्ण, वैध वाहन चालक, लाईसेन्स धारणकर्ता हो।	वाहन चालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।
4	भृत्य	9480/-	आठवीं उत्तीर्ण।	कम से कम तीन वर्षों का समान कार्य अनुभव।
5	सुरक्षा गार्ड	9480/-	आठवीं उत्तीर्ण, जीवित गन लायसेन्स।	कम से कम तीन वर्षों का समान कार्य अनुभव।

#### 4. निविदा प्रस्ताव जमा करने की विधि :-

- i. निविदा दो लिफाफा पद्धति अनुसार, "तकनीकी प्रस्ताव" तथा "वित्तीय प्रस्ताव" के लिये अलग-अलग लिफाफो में प्रस्तुत किया जावेगा।
- ii. "तकनीकी प्रस्ताव" में पात्रता हेतु न्यूनतम मापदंड के समर्थन में समस्त दस्तावेजों की पठनीय सत्यापित छायाप्रति तथा "अमानत राशि हेतु बैंक ड्राफ्ट" अथवा "बैंकर्स चैक" को लिफाफे में सीलबंद कर प्रस्तुत करना होगा। इस लिफाफे पर "तकनीकी प्रस्ताव" (लिफाफा ए) लिखकर प्रस्तुतकर्ता का पूर्ण नाम एवं पता व दूरभाष/मोबाईल नंबर अंकित किया जावे।
- iii. "वित्तीय प्रस्ताव" के लिफाफे में अनुसूची तीन (दर प्रपत्र) सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जावे। इस लिफाफे पर "वित्तीय प्रस्ताव" (लिफाफा बी) अंकित कर प्रस्तुतकर्ता का नाम व पता दूरभाष/मोबाईल नंबर अवश्य लिखे। अनुसूची 3 में वर्णित राशि के प्रतिषत के रूप में अपने एजेंसी का सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।
- iv. उपरोक्त तकनीकी प्रस्ताव का लिफाफा एवं वित्तीय प्रस्ताव के लिफाफा को एक अन्य बड़े साईज के लिफाफे में सीलबंद प्रस्तुत किया जाना होगा। इस लिफाफे पर स्पष्ट रूप से मानव संसाधन हेतु निविदा अंकित कर प्रस्तुतकर्ता अपना नाम, पता व मोबाईल नम्बर अवश्य लिखे।
- v. तकनीकी प्रस्ताव में पात्र पाये जाने पर तथा अनुसूची 1 अनुसार तकनीकी मापदण्ड में न्यूनतम 50 प्रतिषत अंक अर्जित करने पर ही संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी का वित्तीय प्रस्ताव का लिफाफा खोला जावेगा।
- vi. जिस पात्र निविदादाता एजेंसी का सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज न्यूनतम होगा, उनके प्रस्ताव पर विचार कर यदि आवश्यक होगा तो निगोषियेशन उपरान्त दरो की स्वीकृति दी जावेगी और सफल निविदाकार से अनुसूची 4 में दर्शित प्रारूप में अनुबंध किया जायेगा। यदि दो या दो से अधिक निविदाकार से वित्तीय मूल्यांकन में समान दर प्राप्त होते हैं तो तकनीकी मापदंडों के मूल्यांकन में अधिक अंक प्राप्त करने वाले की निविदा स्वीकृत किया जायेगा। यदि तकनीकी अंक भी समान हो, तो उनके मध्य लॉटरी से निर्णय किया जायेगा।

#### 5. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाना :

विभिन्न पदों हेतु कर्मचारियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव का विवरण कंडिका 3 में वर्णित है। निविदा स्वीकृति पश्चात् बैंक द्वारा सूचना दिये जाने पर प्लेसमेंट एजेंसी को "एक माह" के भीतर उक्त कंडिका में वर्णित शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव रखने वाले मानव संसाधन को उपलब्ध कराना होगा। कर्मियों की संख्या में कमी या वृद्धि बैंक द्वारा समय-समय पर की जा सकेगी। प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी कर्मचारी प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा नियोजित माने जावेंगे तथा उक्त कर्मचारियों एवं बैंक के मध्य सेवक-नियोजक का संबंध नहीं रहेगा। कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा मेडिकल फिटनेस, पुलिस वेशीफिकेशन, चरित्र सत्यापन आदि के अनुसार उपयुक्तता का उत्तरदायित्व प्लेसमेंट एजेंसी पर होगा।

निर्धारित अवधि के भीतर प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा मानव संसाधन उपलब्ध नहीं कराये जाने पर मासिक पारिश्रमिक का 2% की दर से प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह की कटौती की जावेगी।

**6. कार्य हेतु अनुबंध :**

निविदा की स्वीकृति का पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर सफल निविदाकार को रुपये 100/- मात्र के नान-ज्युडिशियल स्टाम्प में अनुबंध करना होगा। अनुबंध की अवधि कार्यादेश से दो वर्ष के लिए होगी जिसे आपसी सहमति से और बढ़ाया जा सकेगा। प्लेसमेंट एजेन्सी का कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर 7 दिनों की सूचना देकर बैंक द्वारा अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

**7. प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा कर्मचारियों को भुगतान एवं अन्य सुविधाएँ :-**

- i. प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को भुगतान प्रतिमाह उनके बैंक खाते में किया जावेगा, यह राशि समय-समय पर कलेक्टर रायपुर के द्वारा निर्धारित दर अनुसार परिवर्तनीय होगी।
- ii. उपरोक्त देय राशि में से नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा की राशि कटौती की जावेगी।

**8. बैंक द्वारा प्लेसमेंट एजेन्सी को भुगतान :-**

- i. बैंक द्वारा प्लेसमेंट एजेन्सी को निम्नानुसार राशि भुगतान किया जावेगा।
- ii. नियोजित कर्मियों को अनुसूची 3 में दर्शाये गये अनुसार वर्णित राशि।
- iii. कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा कार्यालय में प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा जमा किये गये नियोक्ता अंशदान की प्रतिपूर्ति।
- iv. प्लेसमेंट एजेन्सी का सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज।
- v. जी.एस.टी. की राशि, नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती की जावेगी।
- vi. प्लेसमेंट एजेन्सी को भुगतान की गई राशि में से नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी।

प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत जमा की गई राशि का विवरण प्रमाण सहित प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसके आभाव में माह से एजेन्सी का सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज का भुगतान रोक दिया जावेगा।

**9. कार्य की शर्तें एवं अन्य विवरण :-**

- i. किसी भी कार्यालयीन कर्मियों की छुट्टी एवं बीमारी की स्थिति में प्लेसमेंट एजेन्सी को तत्काल समकक्ष न्यूनतम योग्यताधारी एवं अनुभवी कर्मचारी की व्यवस्था करनी होगी।
- ii. विभिन्न शासकीय नियमों/अधिनियमों का पालन करने तथा ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की राशि समयावधि में जमा करने का उत्तरदायित्व प्लेसमेंट एजेन्सी का होगा।
- iii. श्रम, बीमा/सेवा शुल्क संबंधी कानूनों का पालन करने के लिये प्लेसमेंट एजेन्सी स्वयं जवाबदार रहेगी। उनके द्वारा पंजीयन नवीनीकरण संबंधित विभाग से प्राप्त कर प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

- iv प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा मानव संसाधन उपलब्ध कराते समय सभी संबंधित कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश मय परिचय पत्र बैंक को उपलब्ध कराया जाना होगा।
- v प्रत्येक कर्मचारी का कार्य 8 घंटे होगा। संबंधित कार्यालय प्रमुख अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा कार्य का समय निर्धारित किया जा सकेगा।
- vi कार्यालयीन समय में कोई भी कर्मचारी बिना सक्षम/संबंधित अधिकारी की अनुमति के कार्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा। बिना पूर्व स्वीकृति के अनुपस्थित रहने पर वेतन कटौती की जावेगी।
- vii प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कोई भी कर्मचारी यदि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है या बैंक कार्यालय में अनुषासनहीनता करता है तो प्लेसमेंट एजेंसी को एक सप्ताह की अवधि के भीतर उसी योग्यता एवं न्यूनतम अनुभव वाले अन्य कर्मचारी के साथ बदलना होगा। ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में प्लेसमेंट एजेंसी को मासिक सुपरविजन, सर्विस चार्ज की राशि का 2% की दर से प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से कटौती की जावेगी।
- viii प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी को बैंक द्वारा सामान्यतः बैंक की शाखाओं में ही पदस्थ किया जा सकेगा। आवश्यकता होने पर उनमें से कुछ कर्मचारियों को मुख्यालय में भी पदस्थ किया जा सकता है।
- ix प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों को वर्ष में 12 दिनों के अवकाश की पात्रता होगी। उपरोक्त के अलावा अवकाश होने पर नियमानुसार राशि कटौती की जावेगी।
- x प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु चयनित कर्मचारियों का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा बैंक को प्रस्तुत करना होगा।

12. Technical parametersअनुसूची 1

S. No.	Parameters	Range	Marks
1	The Agency should have Minimum 5 years of experience of providing similar kind of service in Central Govt./ State Govt./ PSUs/ board/ corporation and should have valid registration number	5 years  for each extra years of experience above 5 years 1 Marks will be awarded for each year. Maximum up to 10 marks.	5  10
2	The agency should have at least 5 years of experience in strategic recruitment of professionals at leadership and Operational level both at national and state level	5 years  Above 5-8 years  Above 8 years	5  7  8
3	Average Annual receipts of Rs. 2.00 Crores During last three financial	Rs. 2.00 crores  Above Rs. 2.00 crores and up to Rs. 5.00 Crores  Above Rs. 5.00 crores	5  7  10
4	Operation	Up to 2 state  Above 2 state and up to 4 state.  More than 4 state	5  7  10
5	Should have done work of Manpower supply in Central Govt./ State Govt./ PSUs/ board/ corporation of not less than Rs. 2.00 crores turnover	2 marks for each assignment maximum of 10 marks	10

**Technical Bid**

**(To be Placed in Envelope A and Sealed)**

To,

**Chief Executive Officer**

Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt.  
Raipur (C.G)

Dear Sir,

We the undersigned, offer to provide Man Power services for Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt., Raipur in accordance with your RFP. Dated (-----).  
our detailed credential is given as under.

**A. Particular of the Bidder**

- 1) Name of the Firm
- 2) Year of establishment with legal entity
- 3) Complete postal address with pin code
- 4) Name Of The Contact Person
- 5) Office Phone
- 6) Mobile number
- 7) Website
- 8) Email

**B. Operation in Other State**, (If Any, Enclose Certificate from Central Govt./ State Govt org. / PSUs/ board/ corporation)

- 1) Brief Details of work being done
- 2) Complete postal address
- 3) Name Of The Contact Person
- 4) Office Phone
- 5) Mobile number
- 6) Email

**c. Turnover for last Three years ,**

Financial year	TURNOVER (crores Rs.)
2017-18	
2018-19	
2019-20	
Total Turnover	Rs. .... Crore

Average annual turnover -----



#### **D. Bidder's experience ( for last 5 year )**

[Using the format below, provide information on each assignment for which your company has supplied and managed the professional manpower similar to this assignment during the last 5 years. Do not mention more than 5 Major latest assignments. Enclose the experience certificate.

S.N.	Name of Assignment	Name of Client	Value of Assignment in Lacs	Type of Professional Manpower Supplied	Place Of Assignments	Period of Assignment	Brief about the Assignment
	2015-16						
	2016-17						
	2017-18						
	2018-19						
	2019-20						

#### **E . Details of documents Attached**

**a) for No of Years of Existence and Valid Registration of Service Tax/ PAN / IT returns**

- Certificate of Incorporation of Company
- Valid Registration Certificate of firm
- Copy of PAN Number
- Copy of G S T Registration Certificate
- Copy of IT return
- Pasara License

**b) for Years of Experience in Providing Manpower Services**

1. List of Central Govt./ State Govt./ PSUs/ board/ corporation with list of number of Manpower supplied during last five years. Certified from the concerned organization.

**c) for Value of Assignment with Govt. Department**

- 1 List of Central Govt./ State Govt./ PSUs/ board/ corporation. along with contact person and telephone/mobile number.
2. Contract copy of 3 assignments each.

**d) for Last 3 years Annual turnover**

1. Turn over Certificate From CA for last 3 years, along with CA registration number. Average annual turnover should be min Rs. 3.00 Crore
2. 3 Years Audit Report along with annual report .

Signature [In full and initials] : -----

Name and Title of the Authorized Signatory-----

Name of the Agency -----

Address -----

E-Mail -----

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर छ.ग. के कार्यालयीन कार्यों हेतु मानव संसाधन  
उपलब्ध कराये जाने के लिये निविदा – दर प्रपत्र

### (Financial Bid)

(To be placed in envelope B)

सेवा में,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,  
रायपुर (छ.ग.)

- (1) हमारे द्वारा निविदा की शर्तों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया गया है तथा हमें निविदा में उल्लेखित शर्तें स्वीकार हैं। हम इस निविदा के अंतर्गत निम्नांकित पद नाम के कर्मचारियों को दर्शायी मासिक देय राशि की दर से (वैधानिक कटौती को छोड़कर) भुगतान करने हेतु सहमत हैं।

पदनाम	पद संख्या	वेतन	मासिक वेतन	कुल मासिक वेतन
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	20	11690.00	15197.00	303940.00
उप यंत्री	2	11690.00	15197.00	30394.00
वाहन चालक	2	10910.00	14183.00	28366.00
भृत्य	20	9480.00	12324.00	246480.00
सुरक्षा गार्ड	15	9480.00	12324.00	184860.00
<b>कुल एक मुश्त राशि –</b>				

उपरोक्त दरों में समय-समय पर कलेक्टर रायपुर के द्वारा जो दर परिवर्तन किया जावेगा वह हमें मान्य होगा।

2. उपरोक्त कंडिका - 1 के अतिरिक्त निम्नांकित राशि विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत हमारे द्वारा जमा किया जावेगा, जो शासन द्वारा समय-समय पर प्रचलित दर से देय होगा। जिसकी प्रतिपूर्ति बैंक द्वारा मासिक आधार पर देयक के साथ हमें की जावेगी :-

क्रं	मद	वैधानिक पंजीयन क्रमांक	प्रतिशत
1	एम्प्लायर प्रोविडेंट फंड हेतु नियोक्ता अंशदान		13.00
2	ईएसआईसी (यदि लागू हो तो) नियोक्ता अंशदान		3.25

3. जी.एस.टी. नियमानुसार देय होगा।

4. उपरोक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिये कंडिका (1) में दर्शाए गए एक मुश्त राशि पर हमारी एजेंसी का सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज ..... ( शब्दों में .....

..... प्रतिषत) मासिक होगा जिसका भुगतान जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर छ.ग. द्वारा हमे उपरोक्त के अतिरिक्त किया जावेगा।

5. हमारे द्वारा वैधानिक राषियों यथा (पी.एफ. एवं ईएसआईसी (यदि लागू हो तो)) की संदाय की गई राषियो का मासिक विवरण माह समाप्ति के 15 दिवस के भीतर चालान के साथ जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर छ.ग. में जमा किया जावेगा, इसके अतिरिक्त संदाय संबंधी जो भी जानकारी व दस्तावेज बैंक द्वारा मांगे जायेगे प्रस्तुत की जावेगी।
6. निमयमानुसार टी.डी.एस. की राशि कटौती होगी।
7. फर्म का आयकर परमानेंट अकाउन्ट नंबर ..... तथा जीएसटी नं. .... है।

**अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**

प्लेसमेंट एजेंसी का नाम एवं पता

ई-मेल .....

CLOSED

अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक ..... को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर जिसे बैंक कहा जावेगा।

(प्रथम पक्षकार)

एवं

जिसे बाद में एजेंसी कहा जावेगा, निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन निष्पादित किया जा रहा है।

(द्वितीय पक्षकार)

प्रथम एवं द्वितीय पक्षकार की अभिव्यक्ति उनके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, वैधानिक प्रतिनिधि, प्रशासक, नामित एवं नियुक्त व्यक्ति से है।

1. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर द्वारा कुशल मानव संसाधन की आपूर्ति हेतु दिनांक ..... को निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा निविदा प्रक्रिया में भाग लिया गया था। प्लेसमेंट एजेंसी निविदा में सफल रही तथा प्लेसमेंट एजेंसी की दर बैंक द्वारा स्वीकृत की गई है।
2. इस अनुबंध की समय सीमा प्रथमतः अनुबंध दिनांक से दो वर्ष हेतु रहेगी, जिसे दोनो पक्षकारो द्वारा आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा। यदि किसी पक्षकार को अनुबंध समाप्त करना है, तो इसका युक्तियुक्त कारण सहित सूचना तीन माह पूर्व संबंधित पक्षकार को देनी होगी।
3. बैंक द्वारा निर्धारित निविदा पत्र की शर्तें एवं प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज इस अनुबंध के अधीन होगी।
4. एजेंसी द्वारा प्रस्तुत देयक का भुगतान जी.एस.टी. सहित बैंक द्वारा किया जावेगा।
  1. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा प्रस्तुत देयक का भुगतान परीक्षण उपरान्त मय शर्तों के अधीन बैंक द्वारा किया जायेगा।
  2. सभी आयकर/वैधानिक कटौती दोनो पक्षो द्वारा नियमानुसार व प्रावधानो के अनुसार की जायेगी।
  3. कर्मचारी भविष्यनिधि अंशदान की राशि समयावधि में भविष्यनिधि कार्यालय में जमा करने का दायित्व प्लेसमेंट एजेंसी का होगा, जिसके चालान की प्रति माह समाप्ति के 15 दिवस के भीतर किया जावेगा।

4. निविदा पत्र के कंडिका 3 में उल्लेखित अनुसार योग्य मानव संसाधन आपूर्ति करने की जवाबदारी प्लेसमेंट एजेंसी की होगी।
5. निविदा पत्र में उल्लेखित मानव संसाधन की आपूर्ति संख्या परिवर्तित करने का अधिकार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर को रहेगा, जो प्लेसमेंट एजेंसी के लिये बंधनकारी होगा।
6. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर एवं प्लेसमेंट एजेंसी के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रथमतः निराकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर द्वारा किया जायेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्णय पर असहमति/विवाद होने पर निराकरण बैंक के अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जावेगा, जो कि दोनो पक्षो के लिये बंधनकारी होगा। इसके पश्चात् भी निर्णय पर विवाद की स्थिति में प्रकरण सक्षम सहकारी न्यायालय रायपुर में दायर किया जा सकेगा।
7. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि यदि प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन निविदा शर्तो के अनुरूप नहीं है तो इसके लिए एजेंसी की राषि में से निविदा की कंडिका 5 एवं 9 अनुसार कटौती की जा सकती है। इस संबंध में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
8. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन कार्यक्षेत्र रायपुर छत्तीसगढ़ होगा।
9. एजेन्सी का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर द्वारा प्लेसमेंट एजेन्सी की सहमति से अनुबंध समाप्ति के पश्चात अनुबंध अवधि में वृद्धि की जा सकती है।
10. यह अनुबंध बैंक द्वारा निविदा की कंडिका 3 में उल्लेखित आवश्यक मानव संसाधन हेतु किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर द्वारा अतिरिक्त मानव संसाधन की आपूर्ति एजेन्सी से करायी जावेगी। जिसका भुगतान पृथक किया जायेगा।
11. एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे मानव संसाधन की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव निविदा के कंडिका क्रमांक 3 में उल्लेखित अनुसार होगी। एजेन्सी चयनित उम्मीदवारों का समस्त रिकार्ड, सेवाषर्तों व अन्य वांछित दस्तावेज की प्रति बैंक को उपलब्ध करायी जावेगी।
12. यह अनुबंध बैंक निविदा दिनांक----- में उल्लेखित नियम एवं शर्तो के अधीन होगी।

13. प्लेसमेंट एजेन्सी एवं मानव संसाधन के मध्य निष्पादित अनुबंध एवं अन्य दस्तावेजी विवरण एजेन्सी द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर को उपलब्ध कराया जावेगा ।
14. निविदा की शर्तें इस अनुबंध की तिथि से प्रभावशील होंगी ।
15. यदि एजेन्सी द्वारा मानव संसाधन के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये उम्मीदवारों से किसी भी उम्मीदवार द्वारा सेवा के दौरान कोई गडबड़ी, गबन धोखाधड़ी किया जाता है तो इसकी क्षतिपूर्ति की संबंधित कार्यरत उम्मीदवार से कराने की जवाबदारी प्लेसमेंट एजेन्सी की होगी इस हेतु सुरक्षा की दृष्टि से एजेन्सी द्वारा समस्त औपचारिकता यथा चल/अचल संपत्ति पुलिस सत्यापन का प्रमाण पत्र चरित्र/आचरण प्रमाण पत्र संबंधित उम्मीदवार से प्राप्त किया जावेगा ।
16. कंडिका क्रमांक 17 में उल्लेखित अनुसार, प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा मानव संसाधन अंतर्गत कार्यरत व्यक्तियों से किये गये अनुबंध की प्रति बैंक को उपलब्ध करायेगी ।
17. उपरोक्तानुसार अंकित शर्तों के अतिरिक्त किसी अन्य शर्त को जोड़ने, विलोपित करने व संशोधित की कार्यवाही दोनों पक्षकारों के द्वारा आपसी सहमति से किया जा सकेगा ।
18. बैंक को उपलब्ध कराये गये सभी मानव संसाधन का समूह बीमा/व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा किया जायेगा ।
19. अनुबंध के बिन्दु क्रमांक 1 से 20 के अतिरिक्त निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन बैंक एवं प्लेसमेंट एजेन्सी दोनों के द्वारा किया जावेगा ।
20. यह अनुबंध दोनों पक्षकारों के मध्य दो गवाहों के मध्य निष्पादित किया गया ।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,  
जी.ई. रोड, मुख्य कार्यालय, रायपुर

गवाह :-

1. ....
2. ....